

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
पटना एवं पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

विषय :-

मुख्य शीर्ष 4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) मांग संख्या-40 विपत्र कोड-पी04047007890101 के अन्तर्गत 5302-भू-अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 में 1,24,90,190/- (एक करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार एक सौ नब्बे) रूपये मात्र राशि का आवंटन। (स्कीम कोड-REV-5528)

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-440(8)/रा0 दिनांक-09.12.2014 के आलोक में महादलित वासरहित परिवारों के लिए रैयती भूमि क्रय करने के लिए निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने स्वीकृत राशि कुल 1,24,90,190/- (एक करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार एक सौ नब्बे) रूपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	स्वीकृत राशि (रूपये में)	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	पटना	70,00,000	70,00,000
2	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	54,90,190	54,90,190
	योग-	1,24,90,190	1,24,90,190

(एक करोड़ चौबीस लाख नब्बे हजार एक सौ नब्बे रूपये मात्र)

- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720 (वि0) दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के सातवीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव